लू से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

राजनांदगांव (आरएनएस) राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने लू एवं भीषण गर्मी के प्रभाव से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देतु हुए सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही विकासखंड स्तर पर लू से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए काम्बेक्ट टीम का गठन करने एवं आवश्यक औषधियों का भंडारण करने कहा गया है। साथ ही अत्यधिक प्रभावित स्थलों के लिए मोबाईल चिकित्सा दल की भी व्यवस्था करने कहा गया है।

अपील

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने जन समुदाय से अत्यधिक गर्मी में बच्चों, वृद्धजनों, गर्भवती माताओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।

उन्होंने जिले के सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य केन्द्रों में ओआरएस कार्नर स्थापित कर सक्रिय करने, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ओआरएस एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था करने एवं लू के मरीजों के लिए पृथक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करने निर्देशित किया है।

गर्मी के दौरान नरम, मुलायम सूती के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हवा व कपड़े पसीने को सोखते रहे। कोविड-19 महामारी के समय शासन स्तर पर फेस मास्क लगाने की एडवायजरी जारी किया गया है। जिसका पालन भी किया जाए। अधिक पसीने आने की स्थिति में ओआरएस घोल पिये। चक्कर आने, मितली आने पर छायादार स्थान में आराम करे तथा शीतल पेयजल नीमू पानी अथवा उपलब्ध हो तो फल का रस, लस्सी, मठा आदि को सेवन अपने स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार करे।प्रारंभिक सलाह के लिए 104 आरोग्य सेवा केन्द्र से निःशुल्क परामर्श

लिया जा सकता है।उल्टी, सरदर्द, तेज बुखार की दशा में निकट के चिकित्सालय अथवा स्वास्थ्य केन्द्र जरूरी जाए। लू लगने पर किया जाने वाला प्रारंभिक उपचार- बुखार पीड़ित व्यक्ति के सर पर ठंडे पानी की पट्टी लगाये। अधिक पानी व पेय पदार्थ पिलाये। जेसे कच्चे आम का पना, जलजीरा आदि।

लू के लक्षण

सिर में भारीपन एवं दर्द का अनुभव होना।
तेज बुखार के साथ मुंह का सुखना।
चक्कर व उल्टी आना।
कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना।
शरीर का तापमान अधिक होने के बावजूद पसीने का न आना।
अधिक प्यास लगना और पेशाब कम आना।
भूख कम लगना।
बेहोश होना।

लू से बचाव के उपाय -

लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप एवं गर्मी से ज्यादा देर तक रहने के कारण शरीर में पानी एवं खनिज मुख्यत- नमक की कमी हो जाती है। लू के बचाव के लिए विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

बहुत अनिवार्य नहीं हो तो घर से बाहर न जाये।
धुप में निकलने से पहले सर व कानों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध ले।
पानी अधिक मात्रा में पिये।
अधिक समय तक धुप में न रहे।

महत्वपूर्ण एवं खास

लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित दुकानें खोले जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई

राजनांदगांव (आरएनएस)कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य के निर्देश पर नगरीय निकाय क्षेत्र राजनांदगांव में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित दुकानें खोले जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर शहर के तीन दुकानों में सीलबंद की कार्रवाई की गई और 7 दुकानों से 12 हजार जुर्माना वसूला गया। शहर के गोलबाजार में स्थित सचिन चौरसिया की दो दुकान (प्लास्टिक सामान की दुकान) और नारायण विश्वास का कपड़ा दुकान को सील किया गया। वहीं गोलबाजार की ही अर्जुन जनरल स्टोर्स, गजानंद सेल्स, नारायण विश्वास, हिमांशु फोटो फ्रेम तथा गुड़ाखू लाईन की शंकर प्लास्टिक, सिमना लॉक और संजय ट्रेडर्स से जुर्माना वसूल किया गया।

शुष्क दिवस घोषित

बीजापुर (आरएनएस)कलेक्टर श्री केडी कुंजाम ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अनुसार नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण में आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बीजापुर जिले में संचालित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को दिनांक 29 अप्रैल से 03 मई 2020 तक 05 दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने बंद रहेगी।

जिले में देशी, विदेशी मदिरा दुकानें 3 मई तक बंद

अम्बिकापुर (आरएनएस) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सारांश मित्तर द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु सरगुजा जिले में स्थित समस्त देसी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध की तिथि में 3 मई तक वृद्धि कर दी गई है। इस अवधि में जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकानों, मद्य भंडारण एवं भण्डागार अम्बिकापुर 3 मई 2020 तक बंद रहेंगे। कलेक्टर ने अवैध विक्रय, परिवहन तथा निर्माण न हो इसके लिए अबकारी विभाग के वृत्त प्रभारियों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में 28 अप्रैल 2020 तक जिले में शुष्क अवधि घोषित किया गया था।

धमतरी आबकारी टीम ने बरामद किया 20 लीटर महुआ शराब

धमतरी (आरएनएस)नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकान, मद्य भाण्डागार धमतरी, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.4-क क्लब को बंद रखने के लिये निर्देशित किया गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री रजत बंसल के निर्देश पर आबकारी टीम द्वारा जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, धारण, परिवहन तथा विक्रय के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहित जायसवाल ने बताया कि दल द्वारा मगरलोड के ग्राम मड़वापथरा के जंगल में छुपाकर रखे गए प्लास्टिक के दो जरिकेन में 20 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची शराब एवं 300 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(च), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री सी.एच.यदु, आबकारी उप निरीक्षक श्री शरद कुमार जायसवाल एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश आमंत्रित करने की रणनीति को दी सैद्धांतिक सहमति

राज्य में इलेक्ट्रानिक्स, ऑटोमोबाइल, आयरन एवं स्टील, भारी इंजीनियरिंग, , ऑप्टिकल फायबर उद्योग को आमंत्रित करने उद्योग विभाग करेगा पहल

उद्योग विभाग ने विदेशी निवेश की संभावनाओं के मद्देनजर दिया प्रस्तुतीकरण

रायपुर, (आरएनएस)मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के संबंध में उद्योग विभाग के प्रस्तावित कार्ययोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। उन्होंने उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव को कुछ चुनिंदा सेक्टर के उद्योगों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करने हेतु आवश्यक चर्चा एवं पत्राचार करने की भी बात कही। राज्य में ऑटोमोबाइल, आयरन एवं स्टील, भारी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक वायर एवं ऑप्टिकल फायबर, कन्ज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाईल, इलेक्ट्रानिक्स आदि उद्योगों की स्थापना के लिए प्राथमिकता से विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव उद्योग श्री मनोज पिंगुआ ने पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि कोविड-19 संक्रमण की वजह से वर्तमान में विश्व में जो स्थिति निर्मित हुई है, उसको देखते हुए भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में चीन से बाहर निकलने को इच्छुक विदेशी औद्योगिक संस्थानों को यहां उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने के अवसर निर्मित हुए हैं। उन्होंने बताया कि यू.एस.ए., जापान, दक्षिण कोरिया, ताईवान एवं वियतनाम की प्रमुख कंपनियों को छत्तीसगढ़ में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। श्री पिंगुआ ने बताया कि उक्त देशों की कंपनियों की कई ईकाइयाँ भारत में पहले से ही कार्यरत हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में भी अपना उद्यम शुरू करने के लिए आमंत्रित किया जाना उपयुक्त होगा, इसके लिए आवश्यक सुविधाएँ एवं रियायते भी दी जा सकती है। श्री पिंगुआ ने बताया कि विदेशी कंपनियों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए सिंगल स्ट्रोक क्लीयरेंस, प्लग एण्ड प्ले सुविधा के साथ भूमि, कुशल श्रम शक्ति, प्रोजेक्ट की स्वीकृति

का सरलीकरण, निवेश पैकेज, स्थानीय निवेशकों से साथ ज्वाईंट वेंचर, आवश्यक अधोसंरचना, बिजली, पानी के अधिभार में छूट दिया जा सकता है। विदेशी निवेश सम्बंधी त्वरित निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवो की समिति गठित करने की सहमति भी दी गयी है ।

जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 27 मई को

मुंगेली (आरएनएस)जिले के विकास खण्ड लोरमी के ग्राम बंधवा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 27 मई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस हेतु आवेदन पत्र 15 मई तक ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा 9वीं में रिक्त अनुसूचित जन जाति वर्ग के पांच बालक और एक बालिका की प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा के लिए ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने आज यहां बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मे प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को जिले मे स्थित शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए । उनकी उम्र 1 मई को 13 से 16 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिन्दी होगा। विद्यार्थी को कक्षा 8वीं में 80 प्रतिशत ए ग्रेड प्राप्त होनी चाहिए । चयन परीक्षा 100 अंक की होगी। अंग्रेजी और हिन्दी 15-15 अंक तथा गणित एवं विज्ञान 35-35 अंक की होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक हो सकता है। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं की अंक सूची, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जन जाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का छायाप्रति एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा । अधिक जानकारी के लिए कलेक्टोरेट स्थित आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

बलौदाबाजार बिना अनुमति श्रमिकों को राज्य से बाहर भेजने पर कम्पनी के विरुद्ध एफआईआर

बलौदाबाजार, (आरएनएस) लॉक डाउन का उल्लंघन कर श्रमिकों को राज्य से बाहर भेजने के आरोप में सिमगा तहसील के ग्राम खपरीडीह स्थित श्री रायपुर सीमेन्ट प्लांट से सम्बद्ध ठेका कम्पनी तरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी, सूरतगढ़, राजस्थान के विरुद्ध सुहेला थाने में आज एफआईआर दर्ज की गई है। कम्पनी के संचालक श्री नरेन्द्र गर्ग एवं साइट इंचार्ज श्री कृष्णदत्त द्विवेदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल को कम्पनी द्वारा मज़दूरों को भगा ले जाने सम्बन्धी सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामले की जांच कराई। श्रम पदाधिकारी एवं औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी बलौदाबाजार ने कलेक्टर के आदेश पर तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच किया और शिकायत को सही पाया। ठेका कम्पनी तरुण कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत झारखंड राज्य के 45 मज़दूर काम करते थे। उन्होंने बिना सरकार से अनुमति लिए इन्हें झारखंड भेज दिया। उनके द्वारा इन मज़दूरों के लिए लॉक डाउन अवधि में समुचित

इंतज़ाम भी नहीं किया गया था। जो कि कोविड 19 के सम्बंध में सरकार के दिये गए विभिन्न निर्देशों का खुला उल्लंघन है। सुहेला थाने में मामला दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मनरेगा के तहत तालाब गहरी करण,गोठान,नाला बंधान के कार्यों से 1.40 लाख ग्रामीणों को मिल रहा गांव में ही रोजगार

जिला पंचायत सीईओ ने किया मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण,

- **कोविड-19 के संक्रमण को रोकने**
- **हैंड वाश, सेनिटाइजर का उपयोग और शारीरिक दूरी बनाकर का करने की हिदायत,**

जांजगीर-चांपा, (आरएनएस) जांजगीर-चांपा जिले में मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों से एक तरफ स्थायी संरचनाओं का निर्माण हो रहा है वहीं लाकडाऊन की स्थिति में 1.40 लाख ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने बुधवार को जनपद पंचायत बम्हनीडीह के ग्राम पंचायत भदरा में चल रहे रामसागर तालाब गहरीकरण के दौरान मेट से गोदी की नापजोख सामने ही कराई। नापजोख होने के उपरांत माप पुस्तिका में गोदी की नाप को पंजी में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंड के अनुसार ही गोदी को खुदवाया जाए। इसके बाद भी अगर मजदूर द्वारा गोदी कम खोदी जाती है तो गोदी की नाप के अनुसार ही श्रमिक के सामने माप पुस्तिका में दर्ज की जाए, ताकि बाद में गोदी के अनुसार ही उसका भुगतान करते समय कोई दिक्कत न हो।

श्री अग्रवाल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एनजीजीबी योजना के तहत बम्हनीडीह ब्लाक की ग्राम पंचायत अफरीद, भदरा, मौहागांव, रोहदा, गोविंदा में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत 1 लाख 40 हजार श्रमिक तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, गोठान निर्माण कार्य आदि परिसंपत्तियों के निर्माण में कार्य कर रहे हैं। मनरेगा के कार्यों से जहां एक ओर परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, वहीं इन कार्यों में लगे हुए मजदूरों की कोविड-19 के, संक्रमण से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कार्यस्थल पर किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मजदूरों से कहा कि कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण एवं बचाव के लिए नियमित शारीरिक दूरी बनाये रखें, मास्क लगाएं, कार्यस्थल पर हाथों को सैनिटाइजर, हैंडवाश से साफ करें। जनपद पंचायत बम्हनीडीह के सीईओ श्री कुबेरसिंह उरेती, एसडीओ श्री डीएस पैकरा, प्रोजेक्ट आफिसर विभा मरावी, तकनीकी सहायक, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक मौजूद थे।

गुणवत्ता के साथ करें सतत निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें

जांजगीर-चांपा, (आरएनएस) अग्रवाल ने बम्हनीडीह जनपद पंचायत सीईओ, एसडीओ आरईएस, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर ध्यान देने और कार्यों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए ।ग्राम पंचायत भदरा, ग्राम पंचायत अफरीद पहुंचे जहां पर तालाब गहरीकरण कार्य का जायजा लेते हुए श्री अग्रवाल ने तालाब की फिनिशिंग, ड्रेसिंग, इनलेट, आउटलेट में गुणवत्ता पूर्ण सुधार करने के निर्देश दिए। अपने भ्रमण के दौरान श्री अग्रवाल ने राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के तहत गोठान एवं चारागाह का निरीक्षण किया। उन्होंने गोठान निर्माण कार्य में तेजी लाने और चारागाह में अधिक वृक्षारोपण के निर्देश दिए। जिपं सीईओ ने ग्राम पंचायत मौहागांव में कोलवा तालाब गहरीकरण, नया तालाब निर्माण कार्य का जायजा लिया। ग्राम पंचायत रोहदा के पुरैना तालाब गहरीकरण कार्य के दौरान मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखने और सरपंच से गांव में गोठान निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव देने कहा। ग्राम पंचायत मौहाडीह में उन्होंने अक्तीबाई के घर से तालाब की ओर निर्माणाधीन मिट्टीकृत रोड का निरीक्षण किया।

उन्होंने निरीक्षण के दौरान मनरेगा के तहत हितग्राहीमूलक कार्य डबरी, कुआं एवं आजीविका संवर्धन के कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने रोजगार सहायक से कार्यस्थल पर सूचना पटल लगाने, नियमित रूप से पंजियो और जॉबकार्ड संधारण करने के निर्देश भी दिए। ग्राम पंचायत गोविंदा में गोठान निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत महिला स्व सहायता समूह से कहा कि आजीविका संवर्धन की दिशा में किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री ... श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों ... सी.बी.वर्मा, श्रीमती ... श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ... एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU